

समाहरणालय, सिवान
(जिला आपदा प्रबंधन शाखा)

आदेश

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आपदा से निपटने एवं बचाव कार्य हेतु पॉलीथीन शीट्स की आपूर्ति हेतु दैनिक समाचार पत्रों में अल्पकालीन निविदा की सूचना (LDPE Black पॉलीथीन शीट्स 4X5 M-250 माईक्रोन वजन का/ISI 2508/84 के अनुसार) का प्रकाशन किया गया था। प्रकाशित निविदा के आलोक में दिनांक 15.05.2017 को आयोजित जिला स्तरीय निविदा क्रय समिति के बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में न्यूनतम दर धारी निविदादाता M/S Sanhit Polymer, Sriniketan Road, P.O- Bholpur, Virbhum (West Bengal) को न्यूनतम दर (वार्ता के पश्चात) के आधार पर निम्नांकित विशिष्टियों के अनुरूप अंतिम मात्रा में पॉलीथीन शीट्स की आपूर्ति करने का आदेश इस आधार पर दिया जाता है कि वे नीचे वर्णित शर्तों से संबंधित एकरारनामा एवं शपथ-पत्र तुरंत समर्पित करेंगे।

क्र०	सामग्री का नाम	मात्रा	आकार	दर	गुणवत्ता
1	पॉलीथीन शीट्स	3000 शीट्स	4X5 M	132/- प्रति कि० ग्रा० (वार्ता के पश्चात)	LDPE Black पॉलीथीन शीट्स 4X5 M-250 माईक्रोन वजन का/ISI 2508/84 के अनुसार

आपूर्ति हेतु शर्तें :-

1. आपूर्तिकर्ता को पॉलीथीन शीट्स की आपूर्ति DGS&D के द्वारा निर्धारित उपरोक्त मापदण्ड एवं गुणवत्ता के अनुरूप करनी होगी।
2. आपूर्ति पॉलीथीन शीट्स की आपूर्ति DGS&D/ CIPET के द्वारा ISI 2508/ 1984 के अनुसार निरीक्षित एवं प्रमाणित होना चाहिए तथा तत्संबंधी सत्यापन प्रमाण-पत्र अलग से आपूर्तिकर्ता फार्म द्वारा इसे जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी, इसके बिना आपूर्तिकर्ता का भुगतान नहीं किया जायेगा।
3. आपूर्तिकर्ता को उपरोक्त सामग्री पत्र निर्गत की तिथि से एक सप्ताह के अंदर सिवान समाहरणालय में आपूर्ति करनी होगी। आपूर्ति हेतु परिवहन व्यय अलग से देय नहीं होगा।
4. पॉलीथीन शीट्स की आपूर्ति हेतु कोई अग्रिम देय नहीं होगा।
5. आपूर्ति पॉलीथीन शीट्स की जाँच उपलब्ध कराये गये नमूना से करने के पश्चात संतुष्ट होने पर ही कीमत का भुगतान किया जायेगा।

7. पॉलीथीन शीट्स की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी अथवा आपूर्ति में विलंब के लिए कटौती अथवा एकरारनामा रद्द करने का अधिकार जिला पदाधिकारी, सिवान के पास सुरक्षित रहेगा।

एच/✓
जिला पदाधिकारी,
सिवान।

ज्ञापांक.....394...../आ0प्र0 दिनांक.....21.6/2017

प्रतिलिपि :- M/S Sanhit Polymer, Sriniketan Road, P.O- Bholpur, Virbhum (West Bengal) को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस आदेश को जिला अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- जिला नजारत उप समाहर्ता, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि जिला में प्राप्त होने वाले पॉलीथीन शीट्स को सुरक्षित भंडारण करवाना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- नजारत उप समाहर्ता, सिवान/ माप तौल पदाधिकारी, सिवान/ महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, सिवान को सूचनार्थ। उन्हें निदेश दिया जाता है कि आपूर्ति किये जाने वाले पॉलीथीन शीट्स प्राप्त होने पर CIPET के द्वारा मानक गुणवत्ता की जांच कर उसे तौल कराने तथा भंडारण करने की कार्रवाई सामग्री प्राप्ति के साथ ही करेंगे।

म/✓
21/6/17
जिला पदाधिकारी,
सिवान।